

नकल आदेश दिनांक 24/9/10

न्यायालय सौकर्योक्त अधिकारी चक्रवर्ती, हरिद्वार रुकान रुकी ।

बाद संख्या- 68

मनिका शर्मा सचिव
आर०आइ०एम०एस०



सरकार

ग्राम दहियाडी, परगना मंगलौर, तहसील रुकी, जिला हरिद्वार ।

मनिका शर्मा पुत्री कुंभर दत्त शर्मा, सचिव आर०आइ०एम०एस० रुकी ने दिनांक 22-9-2010 को प्राधिका-पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि उनको इस न्यायालय द्वारा बाद पत्रावली मनिका शर्मा सचिव आर०आइ०एम०एस० द्वारा 5 ग जोत चक्रवर्ती अधिनियम में दिनांक 10-3-2010 को ग्राम दहियाडी, परगना मंगलौर, तहसील रुकी, जिला हरिद्वार के गाटा संख्या 76 रकबा 0-2500 हे० भूमि पर शौहाणिक संस्थान हेतु पुराता निर्माण करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गयी थी कि 90 दिन के अंदर निर्माण कार्य करा ले अन्यथा यह अनुमति समाप्त समझी जायेगी । प्राधिका किसी कारण वश समय के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा पायी है, इसलिए धारा-5 ग के अंतर्गत जो अनुमति दी गयी थी उसे तीन माह के लिए और बढ़ा दिया जाये ताकि निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके ।

भले प्राधिका के प्राधिका-पत्र दिनांक 22-9-2010 का परिशिष्ट किया तथा पूर्व में दी गयी अनुमति दिनांक 10-3-2010 का अवलोकन किया बाद पत्रावली के अंतर्गत से विदित होता है कि प्राधिका मनिका शर्मा सचिव आर०आइ०एम०एस० रुकी को ग्राम दहियाडी परगना मंगलौर तहसील रुकी, जिला हरिद्वार के गाटा संख्या 76 रकबा 0-2500 हे० भूमि पर शौहाणिक संस्थान हेतु पुराता निर्माण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि प्राधिका अपना उक्त निर्माण कार्य 90 दिन के अंदर करा ले अन्यथा यह अनुमति समाप्त समझी जायेगी । प्राधिका ने अपने प्राधिका-पत्र दिनांक 22-9-2010 में यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा किसी कारण वश मियाद के अंदर कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है, इसलिए पूर्व में दी गयी अनुमति का समय तीन माह के लिए बढ़ा दिया जाये । पूर्व में प्राधिका को जो अनुमति दी गयी थी वह पुराता ग्राम



सभा द्वारा दी गयी सहमति एवं सहायक चक्रवर्ती अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर किसी प्रकार का विधिक व्यवधान न होने के कारण दी गयी थी। चूंकि प्राधिनी ने समय के ऊपर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा पायी है इसलिए इस न्यायालय द्वारा जो अनुमति प्राधिनी को दी गयी थी उसी शर्तों के अनुसार आदेश पारित किये जाने की तिथि से तीन माह के समय और बढ़ाये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति विहित नहीं होती है। अतः प्राधिनी मनिता शर्मा का प्राधिना-पत्र दिनांक 22-9-2010 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिनी मनिता शर्मा का प्राधिना पत्र दिनांक 22-9-2010 स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा वाद पत्रावली संख्या मीमा ऊर्तगत धारा 5 ग जो 0 च 0 अधि 0 मनिता शर्मा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 10-3-2010 के द्वारा जो अनुमति प्रदान की गयी थी उसकी समय सीमा आदेश पारित किये जाने की तिथि से तीन माह के लिए आदेश दिनांक 10-3-2010 में वर्णित शर्तों के अनुसार बढ़ायी जाती है। तदनुसार अभिलेखा में अमलदरामद किया जाये।



8 दीवान सिंह सेठी 23-9-10
 सहायक चक्रवर्ती अधिकारी चक्रवर्ती,
 हरिद्वार स्थान रुकी।

मूल सहाय नं० दिनांक 748/23-9-10
 नकल नैवारो का दिनांक 24/9/10
 नकल चक्रवर्ती का दिनांक 24/9/10
 अनुमति का लाभ 120 रु तक
 टिकरी का 4/7=00
 जारी करने का दिनांक 24/9/10
 रियार कर्ता के ह० 8
 24/9/10

सत्य प्रतिलिपि

प्रमाणित

अहलमद 24/9/10

सहायक न्यायाधीश चक्रवर्ती
 हरिद्वार स्थान रुकी

Attested True Copy

Public Notary

Chairman/Secretary
 Modern Institute of Management
 & Technology Society
 Dohiyuki, Pargana Manglour
 Tehsil Roorkee, Distt. Haridwar